कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2021/3494 दिनांक 19.08.2021

:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता ::

मुझे यह अवगत करवाया है कि धौलपुर जिले में कोविड 19 को दृष्टिगत रखते हुए तथा गृह विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1) गृह–7/2021 जयपुर दिनांक 10.07.2021 के क्रम में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण तथा कोरोना वायरस के फैलाव की संभावना को देखते हुए धौलपुर जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया धौलपुर जिले में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अतः मैं आर. के. जायसवाल जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों का आयोजन /मेलों/हाट बाजार के आयोजन की निषेधाज्ञा जारी करता हूँ।

मैं जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नही करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 व आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 तथा अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना संभव नहीं है। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण की जानकारी हेतु धौलपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में मुख्य–मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर ध्वनि प्रसारण यंत्रो एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 19.08.21 को जारी किया गया जो दिनांक 20.08.2021 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

(आर. के जायसवाल)IAS
जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2021/3494 दिनांक :- 19.08.2021

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति0 मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर
3. अति0 मुख्य सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
4. संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर
5. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, भरतपुर
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
7. जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर